F.N. SUM/2465/2022
R.N.SUM/674/2022

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898

In the court of-Shweta Goutam, JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, NAGOD DIST.SATNA (M.P.)

Case No.- **674/2022** Complaint or report made on-09-10-2022

शासन म.प्र. द्वारा थाना जसो बनाम सुरेन्द्र उर्फ मालिक कुशवाहा

Name and address of the Complainant--- थाना **जसो** जिला सतना म0प्र0

Name, parentage, caste and address of accused
सुरेन्द्र उर्फ मालिक कुशवाहा, पिता रामखेलावन उर्फ कोली, उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम चुनहा, थाना जसो जिला–सतना म0प्र0
The offence complaint of and date of its alleged commission-
यह कि आपने घटना दिनांक 09 / 10 / 2022 समय 14:50 बजे ग्राम चुनहा, आरोपी के घर के सामने परछी से, थाना जसो में अपने आधिपत्य में अवैध **20 पाव कुल 03.6 लीटर देशी प्लेन शराब** बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के विक्रय के आशय से धारित की। और इस प्रकार से आपने यह अपराध कारित किया, जो म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–34(1)(क) के उपबंधो के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्र में आता है। अतः मैं आदेश देती हूॅ कि आपका उक्त धारा में इस न्यायलय के द्वारा विचारण किया जावे। सही / – **(श्वेता गौतम)** जे0एफ0एफ0सी0 नागौद जिला सतना
The plea of the accused and his examination (pif any)
अभियुक्त का अभिवाक– मुझे अभियोजित सभी विशिष्टियों के साथ अपराध स्वीकार है। .... सही / – **(श्वेता गौतम)** जे0एफ0एफ0सी0 नागौद जिला सतना

—: निर्णय :—

(आज दिनांक **17.10.2022** को घोषित किया गया)

01— अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ मालिक कुशवाहा पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

02— अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त के द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1945 की धारा 34 (1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु दोषी पाये जाने से **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

03— अतः अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1945 की धारा 34 (1)(क) अधीन दण्डनीय अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं राशि **2200/—(दो हजार दो सौ रुपये मात्र)** के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

04— अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

05— प्रकरण में जप्तशुदा **20 पाव कुल 03.6 लीटर देशी प्लेन शराब** मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे और अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

सही/—
{श्वेता गौतम}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नागौद, जिला सतना म.प्र.

सही/—
{श्वेता गौतम}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नागौद, जिला सतना म.प्र.

Shweta Goutam
Digitally signed by Shweta Goutam
Date: 2022.10.17 17:56:25 +0530